



भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
Maha Nagar Door Sanchar Bhavan, Jawahar Lal Nehru Marg,
(पुराना मिंटो रोड), नई दिल्ली-110002
(Old Minto Road), New Delhi - 110002



संख्या 2—चालक (2) / 2004—प्र० एव का०

दिनांक: 26 दिसम्बर, 2017

“ज्ञापन”

- जबकि श्री ओमप्रकाश गिरी, ड्राइवर को दिनांक 23 मई, 2017 से 09 जून, 2017 तक अर्जित अवकाश प्रदान किया गया था। अवकाश की अवधि समाप्त होने के पश्चात् श्री गिरी से अपना कार्यभार ग्रहण किए जाने की अपेक्षा थी, परन्तु वे बिना किसी प्राधिकार/ अवकाश की अनुमति प्राप्त किए अपनी डयूटी से अनुपस्थित रहे/ डयूटी पर नहीं आए।
- जबकि श्री ओमप्रकाश गिरी, ड्राइवर को इस कार्यालय के दिनांक 11 सितम्बर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से डयूटी पर लौटने तथा किसी अन्य मामले में नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा मांगे गए दस्तावेज/ जानकारी को 7 दिनों के भीतर उपलब्ध करने का निर्देश दिया गया था। चूंकि उनके पते के बारे में इस कार्यालय को जानकारी नहीं थी इसलिए उक्त ज्ञापन को उनके घर के दरवाजे तथा भाद्रविप्रा के कार्यालय के सूचना पट्ट पर चर्खा कर दिया गया तथा इसे स्पीड पोस्ट से भेजने के साथ-साथ, भाद्रविप्रा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया। परंतु, श्री गिरी न ही अपनी डयूटी पर वापस लौटे, न ही उन्होंने इस ज्ञापन का उत्तर ही दिया।
- जबकि श्री गिरी को संगत नियमों के विभिन्न प्रावधानों तथा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के परिणामों के संबंध में जानकारी देने के लिए दिनांक 16 नवम्बर, 2017 का एक अन्य ज्ञापन जारी किया गया था। पुनः इस ज्ञापन को उनके घर के दरवाजे तथा भाद्रविप्रा के कार्यालय के सूचना पट पर चर्खा कर दिया गया तथा इसे स्पीड पोस्ट से भेजने के साथ-साथ भाद्रविप्रा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया। परंतु, पुनः श्री गिरी न ही अपनी डयूटी पर वापस लौटे, न ही उन्होंने इस ज्ञापन का उत्तर ही दिया।
- इसलिए अब, श्री ओमप्रकाश गिरी, ड्राइवर को एतद्वारा अपना स्पष्टीकरण/ लिखित विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है कि डयूटी से उनके इस अनधिकृत अवकाश को केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 तथा अन्य सांविधिक नियमों के तहत “अकार्य दिवस के साथ सेवा में व्यवधान (*dies-non with break in service*)” क्यों न माना जाए। उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में श्री गिरी का स्पष्टीकरण/ लिखित विवरण 7 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को पहुंच जाना चाहिए, ऐसा नहीं होने पर यह माना जाएगा कि उन्हें अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है तथा उनके विरुद्ध नियमों के तहत उपर्युक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई, जैसी उचित समझी जाएगी, आरंभ की जाएगी।

(एस० एन० तिवारी)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (प्रा० एवं कार्मिक)
दूरभाष: 011-23664213

श्री ओम प्रकाश गिरि,
चालक, साधारण ग्रेड, भाद्रविप्रा
निवास स्थान : बीएसएनएल स्टॉफ क्वार्टर नं. बी-14, टाईप-II,
विवेक विहार, दिल्ली- 110095